<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 194/2016

1 अर्जुनराम सैनी पुत्र गिरधारीलाल जाति माली निवासी गुढ़ा ढहर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू जरिये मुख्तयार पत्नी कौशल्या देवी पत्नी अर्जुनराम उम्र 27 साल जाति माली निवासी ढ़ाणी चाकराला तन गुडा ढ़हर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र गिरधारी।
2 कालुराम पुत्र गिरधारी।
3 गिरधारी पुत्र चेता।
4 हरलाल पुत्र चेता।
5 मनसा पुत्र चेता।
6 ताराचन्द पुत्र चेता।
7 सिणगारी विधवा चेता।
8 ईशराराम पुत्र चेता।
9 बाबुलाल पुत्र शोभाराम।
10 बलराम पुत्र शोभाराम।
11 बंशीराम पुत्र शोभाराम।
12 कालुराम पुत्र शोभाराम।
13 दीपचन्द पुत्र शोभाराम।
14 किस्तुरी पुत्री शोभाराम समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी चाकरा वाली गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
15 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
16 श्रीमान उप पंजियक गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी प्रकरण संख्या 114/2016 शीर्षक अर्जुनराम बनाम ओमप्रकाश आदि दावा बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 114/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 428,429,430,433,472,474,475,21/2,789, 790, 791,792,793 बाबत घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आंशिक डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में घोषणा की डिक्री तो जारी कर दी है किन्तु विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी नही की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही की है। रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विवादित भूमि पर जबरन किस्म बदलकर मौके पर निर्माण कार्य कर रहे है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने पैतृक भूमि में अपने नोशनल हिस्से की उदघोषणा चाही थी। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार अपीलांट को पैतृक भूमि में नोशनल हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है। विभाजन के सन्दर्भ में अपीलांट पृथक से वाद प्रस्तुत कर विभाजन करवाने हेतु स्वंतत्र है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने पैतृक भूमि में अपने नोशनल हिस्से की उदघोषणा चाही थी। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार अपीलांट को पैतृक भूमि में नोशनल हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है। विभाजन के सन्दर्भ में अपीलांट पृथक से वाद प्रस्तुत कर विभाजन करवाने हेतु स्वंतत्र है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तपेक्ष करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर